हरियाणा विधान सभा

पंद्रहवी विधान सभा

छठा सत्र

कार्य सूची

---

1. शोक प्रस्ताव।

(1) एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. श्री गोपी चंद गहलोत, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा;
2. श्री जंगबीर सिंह, भूतपूर्व सदस्य, लोकसभा;
3. हरियाणा के शहीद;

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

2. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट।

(1)

(i) अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के सम्बन्ध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii) समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

3. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

4. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

5. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

(1)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे।

(2)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे।

(3)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे।

(4)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 अप्रैल, 2026 मेज पर रखेंगे।

(5) **परिशिष्ट।**

नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(i) **श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध प्रस्तुत संकल्प/प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसे सदन द्वारा 22 दिसम्बर, 2025 को स्वीकृत किया गया था तथा मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना।**

(i)

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध प्रस्तुत संकल्प/प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसे सदन ने 22 दिसम्बर, 2025 को स्वीकार किया था तथा मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

(ii)

यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

(6) श्री अर्जुन सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(i)

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्री अर्जुन सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे |

(ii)

यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

(7) श्री प्रमोद कुमार विज, एम.एल.ए., द्वारा सोशल मीडिया के चैनल 'एक्शन इंडिया हरियाणा'(ए.आई.एच) के प्रबंध निदेशक, प्रकाशक, संपादक, निर्माता तथा संवाददाता के विरुद्ध प्रस्तुत संकल्प/प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसे सदन द्वारा 23 फरवरी, 2026 को स्वीकृत किया गया था तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना।

(i)

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्री प्रमोद कुमार विज, एम.एल.ए., द्वारा सोशल मीडिया के चैनल 'एक्शन इंडिया हरियाणा' (ए.आई.एच) के प्रबंध निदेशक, प्रकाशक, संपादक, निर्माता तथा संवाददाता के विरुद्ध प्रस्तुत संकल्प/प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जिसे सदन ने 23 फरवरी, 2026 को स्वीकृत किया था तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

(ii)

यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

(8) **सरकारी संकल्प।**

(i) **A MINISTER to move that** – "कोई भी क्षेत्र या समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी आधी आबादी अर्थात माताओं और बहनों को सम्मान, समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते। इसलिए 'नारी सम्मान' भारत की चिर-नूतन सभ्यता और संस्कृति की अटूट पहचान भी है तथा विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल आधार भी है।

हमारे शास्त्रों में कहा गया है— "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः"। हमारी संस्कृति में गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क से समाज को दिशा दी।

हमारे गौरवशाली इतिहास में भी अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। माँ जीजाबाई जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार और साहस देकर महान राष्ट्रनायक बनाया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि नारी वीरता और पराक्रम की भी मिसाल है। हमारी हरियाणा की बेटी महारानी किशोरी, शिक्षाविद् बहन सुभाषिनी जी व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने भी अपनी प्रतिभा से हमें गौरवान्वित किया है। यही नहीं, हमारी बेटियों ने खेलों में पूरी दुनिया में बार-बार अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़कर राष्ट्र की गरिमा और सम्मान को बढ़ाया है।

नारी शक्ति सम्मान की इस महान परंपरा के अनुकरण में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिला उत्थान का बीड़ा उठाया। उन्होंने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पानीपत से 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया। इससे पूरे देश में सामाजिक चेतना का दीप प्रज्ज्वलित हुआ। उसी का परिणाम है कि आज देश में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। हरियाणा का ही उदाहरण देखिए। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात 871 था, जो आज सुधरकर 923 हो गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भी अनेक योजनाएँ चलाईं। उदाहरण के रूप में 'सुकन्या समृद्धि योजना' और 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के माध्यम से

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया। 'मुद्रा योजना' और 'स्टैंड-अप इंडिया' ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाई है।

रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई। देश के सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प व्यक्त किया, तो उन्होंने इसके चार स्तंभों में महिलाओं को भी शामिल किया।

माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। 'लखपति दीदी' व 'ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' जैसी पहलें बहनों-बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। 'हर घर-हर गृहिणी योजना' के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं।

महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इसके अलावा 'दुर्गा शक्ति ऐप' और हेल्पलाइन-1091 चलाए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारियों के मान-सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' तक पहुँच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में लागू होना था, लेकिन, प्रधानमंत्री जी ने इसे वर्ष 2029 में ही लागू करने के उद्देश्य से गत 16 व 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाया गया।

यह विधेयक देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने के लिए था।

यह उस ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है, जो पिछले 25-30 वर्षों से चल रही थी। स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि— "राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं, जब समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता मिलकर एक नई दिशा तय करती है।" गत 17 अप्रैल को वही क्षण हमारे सामने था।

अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक' का समर्थन करते, तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की शुभ शुरुआत होती। परंतु अफ़सोस है कि इस शुभ शुरुआत से पहले संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगा दिया है।

यह प्रस्ताव उस सोच के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है, जो दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती रही है। यह विषय किसी एक दल का ना होकर सभी राज्यों की बहनों-बेटियों के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

इसलिए इस महान सदन में उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि हम सब अपने राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय माँ, प्रत्येक प्यारी बहन-बेटी और हर नन्ही बिटिया के हित में इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें।

यह प्रस्ताव राजनीतिक नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उत्थान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसलिए, इस महान सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।"

(9) **ध्यानाकर्षण सूचना।**

(i)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-1 जिसकी सूचना श्री अदित्य सुरजेवाला, एम.एल.ए.तथा 11 अन्य एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	रबी 2026-27 की खरीद में संकट से संबंधित।

6. विधायी कार्य।

(1) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाला विधेयक)

(i)

हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) परिशिष्ट।

सरकारी संकल्प।

(i) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- मान्यवर, हम सभी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि विधानमंडल लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके हितलाभ/ फायदे के लिए कार्य करते हैं। भारतीय विधानमंडलों में विभिन्न संसदीय सुधार चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समितियाँ लोगों की जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा मंच हैं। विषय समिति, जोकि प्रस्तावित है, विशेष रूप से वर्तमान समय की आवश्यकताओं के प्रासंगिक है। अतः, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर एक नई विषय समिति गठित की जाए तथा हरियाणा विधानसभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बंधित नियमों के नियम 279-च के बाद निम्नलिखित प्रावधान रखा जाएँ:-

महिला सशक्तिकरण पर विषय समिति।

279-छ. (1) महिला सशक्तिकरण पर एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के सदस्यों में से नामजद नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। नामजद किए जाने वाले नौ सदस्यों में से विधान सभा की पांच महिला सदस्य होंगी, जिसमें से एक महिला सदस्य समिति की चेयरपर्सन होगी। (2) समिति के सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष होगी।	विषय समिति का गठन
279-ज. समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:- (1) जांच करना:— (क) हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की; (ख) सभी मामलों में महिलाओं की समानता, प्रतिष्ठा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की; तथा (ग) व्यापक शिक्षा तथा स्थानीय निकायों/सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की। (2) प्रतिवेदन प्रस्तुत करना:— (क) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति/परिस्थितियों से संबंधित सुधार हेतु विषयों में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर; (ख) महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली पर; तथा	समिति के कृत्य

(ग) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर। (3) ऐसे अन्य मामलों का, जिन्हें समिति द्वारा उचित समझा जाए या जिन्हें सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाए। (4) विषय समिति दिन- प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी।	

राजीव प्रसाद
सचिव
हरियाणा विधान सभा

चंडीगढ़-160001
दिनांक :27 अप्रैल 2026